भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2207

जिसका उत्तर 4 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

14 फाल्गुन, 1941 (शक)

जनता की डिजिटल सुरक्षा

2207. श्री बंदी संजय कुमार:

श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनसामान्य विशेषकर महिलाओं और बच्चों की डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में कार्य योजना क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

साइबर स्पेस इंटरनेट पर लोगों, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर पर सेवाओं का जटिल वातावरण होने के कारण इसमें साइबर स्पेस के वास्तविक स्पेस की तुलना में भिन्न और अनूठे लक्षण हैं। साइबर स्पेस वर्चुल, सीमा रहित है और यह गुणनामी प्रदान करता है। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया और मोबाइल इकोसिस्टम महत्वपूर्ण जन सम्पर्क में चैनलों में से एक के तौर पर उभरे हैं। इस वास्तविक समय के बातचीत के लिए वर्चुल स्थान के समुहिक को साथ लाते हैं। हाल ही में पूरे विश्व में सोशल मीडिया का प्रयोग अपराधियों और गैर राष्ट्रवादी तत्वों द्वारा साइबर अपराध, विशेष रूप से महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जा रहा है। त्वरित संचार और गुमनामी की संभावना के साथ सीमा रहित साइबर स्पेस सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और इंटरनेट के प्रयोग के जरिए साइबर अपराध करने की संभावना पैदा करता है, जो विश्वभर में कहीं भी कि तरह देश में पहले की तुलना में अधिक है।

सरकार लोगों की डिजिटल सुरक्षा से परिचित है और सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम शामिल हैं:

(i) व्यक्तियों विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की डिजिटल सुरक्षा से निपटने के लिए पर्याप्त विधिक प्रावधान है। महिलाओं से संबंधित सभी को शामिल करते मौजूदा साइबर अपराधों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्यिगिकी (आईटी), अधिनियम 2000 में पर्याप्त प्रावधान है। अधिनियम की धारा 66ङ, 67 और 67क में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील/यौन रूप से एक्प्लीसिट सूचना सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण ताक- झांक के लिए दण्ड और अर्थ-दण्ड का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 67ख में इलेक्ट्रॉनिकी रूप में बाल पोर्नोग्राफी का प्रकाशन, ब्राउजिंग या प्रेषण करने के लिए विशिष्ट रूप से कठोर सजा का प्रावधान है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 354(क) और 354(घ) में साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग के लिए दंड का प्रावधान है। इसके अलावा, यौन अपराधों से बच्चों की रक्षा (पोस्को) अधिनियम 2012 में पॉर्नोग्राफिक प्रयोजनों के लिए बच्चे के इस्तेमाल और बच्चों को शामिल करते हुए पॉर्नोग्राफिक सामग्री के भंडारण के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।

(ii) आईटी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिर्देश) नियमावली 2011 में यह अपेक्षित है कि माध्यस्थ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अपेक्षित सावधानी बरतेंगे और किसी व्यक्ति द्वारा माध्यस्थ के कम्प्यूटर संसाधन के उपयोग या अभिगम के लिए नियमों और विनियमों, निजता नीति और प्रयोक्ता करार प्रकाशित करेंगे; प्रयोक्ताओं को सूचित करेंगे को सूचना सामग्री होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, अद्यतन अथवा साझा न करने के लिए सूचित करेंगे जो पूरी तरह से खतरनाक, अपवादक, अश्लील, अवयस्कों को किसी तरह से नुकसान पहुंचता हो और कुछ समय के लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करता है। प्रयोक्ता और प्रभावित व्यक्तियों/संगठनों से प्राप्त शिकायतों का समाधान करने के लिए माध्यस्थ अपने वेबसाइट पर शिकायत अधिकारी का नाम एवं उनका सम्पर्क विवरण प्रकाशित करेगा।

(iii) गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक ऑनलाइन राष्ट्रीय अपराध रिर्पोटिंग पोर्टल, (www.cybercrime.gov.in) भी लांच किया है ताकि शिकायतकर्ता महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध होने वाले साइबर अपराधों पर विशेष फोकस के साथ सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित शिकायत रिपोर्ट करने हेतु सक्षम हो सके।

(iv) सरकार भारत में इन्टरपोल के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के माध्यम से प्राप्त इंटरपोल की "सर्वाधिक भद्दी सूची" (वर्स्ट ऑफ लिस्ट) पर आधारित उन वेबसाइटों को आवधिक रूप से ब्लॉक करती है जिनमें बहुत अधिक मात्रा में चाइल्ड सेक्सुएल एब्यूस मटीरियल (सीएसएम) मौजूद है।

(v) सरकार ने संबंधित इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को सतत आधार पर सीएसएएम वेबसाइटों/वेब पेजों की यूके सूची, इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (आईडब्ल्यूएफ) सूची प्राप्त करने और बाल पोर्नोग्राफी में लिप्त दर्शाने वाले वेबपेजों/वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने हेतु कहा है।

(vi) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने साइबर अपराध से संबंधित कानूनों को सरल भाषा में बेहतर समझ के लिए अन्वेषण अधिकारियों के लिए एक गाइड के रुप में “साइबर अपराध के बाल पीडित-कानूनी टूल किट” नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की है।

*****